संख्या- 5/१०१८/५०-वाई0के0-२०१४-४८(विविध)/२०१३

प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

युवा कल्याण अनुभाग **लखनऊ दिनांक: १२ अगस्त, २०१४**

विषय-राजीव गांधी खेल अभियान (आर.जी.के.ए.) योजना के अन्तर्गत खेल अवसंरचना (स्पोर्ट्स काम्पलेक्स) के विकास हेतु भूमि की व्यवस्था किया जाना।

महोदय,

प्रश्नगत संदर्भ में उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के राजपत्र दिनांक १७ मई, २०१४ में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग) की अधिसूचना संख्या-८-३/एमवाईएएस/पायका/२०१२, दिनांक २९ अप्रैल, २०१४ द्वारा पायका योजना के स्थान पर राजीव गांधी खेल अभियान (आर.जी.के.ए.) योजना ०१ अप्रैल, २०१४ से कार्यान्वित किया जाना अधिसूचित किया गया है। उक्त योजना की ऑपरेशनल गाईड लाईन्स, २०१४ भारत सरकार के पत्र संख्या-३६-३/एमवाइएएस/आर.जी.के.ए./२०१४, दिनांक १६ जुलाई, २०१४ द्वारा जारी की गई है।

२- राजीव गांधी खेल अभियान (आर.जी.के.ए.) योजना प्रदेश में लागू करने हेतु आवश्यक शासनादेश शीघ्र जारी किया जायेगा। आर.जी.के.ए. के सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र दिनांक १६ जुलाई, २०१४ द्वारा जारी ऑपरेशनल गाईड लाईन्स के अनुसार राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय तथा ब्लाक स्तरीय एक्जीक्यूटिव कमेटी गठित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

३- उक्त योजना के सम्बन्ध में अग्रिम रूप में अवगत कराना है कि आर.जी.के.ए. के अन्तर्गत प्रत्येक ब्लाक मुख्यालय पर अगले पाँच वर्षों में कुल रू. १.६० करोड़ की लागत से इनडोर एंव आउटडोर स्पोटर्स काम्पलेक्स विकसित किये जाने हैं, जिनके लिए फण्ड की व्यवस्था आर.जी.के.ए., मनेरगा. बी.आर.जी.एफ., एन.एल.सी.पी.आर. ए.सी.ए. से की जायेगी।

-२-

http://shasanadesh.up.nic.in

४- प्रत्येक स्पोर्ट्स काम्पलेक्स के लिए ६ से ७ एकड़ भूमि की आवश्यक्ता है, जिसके लिए प्रथम चरण में प्रत्येक जनपद के १/४ ब्लाकों में भूमि के चिन्हिकरण की तत्काल आवश्यक्ता है। तदक्रम में प्रत्येक जनपद से कम से कम एक ब्लाक में भूमि का चिन्हिकरण कर भारत सरकार को तत्काल प्रेषित किया जाना है। उक्त के अतिरिक्त प्रत्येक राजस्व ग्राम पर भी खेल मैदानों का विकास मनरेगा से किया जाना प्रस्तावित है।

५- ब्लाक स्तर पर प्रस्तावित खेल परिसर हेतु स्थान चयन के सम्बन्ध में प्रथमत: सम्बद्व ग्राम पंचायत अथवा ब्लाक पंचायत के स्वामित्व की ६-७ एकड़ भूमि पर ब्लाक स्तर खेल परिसर का विकास किया जायेगा। यदि ग्राम पंचायत की भूमि उपलब्ध न हो रही हो, तो किसी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल/कालेज, जहां भूमि अपेक्षित मात्रा में उपलब्ध हो, खेल परिसर स्थापित किया जायेगा बशर्ते कि सभी सृजित की गई सुविधाओं का स्कूल प्राधिकारी द्वारा खेल मैदानों के रूप में सामान्यजन के उपयोग की अनुमति दी गई हो। समान्यत: ब्लाक मुख्यालय पर खेल परिसर विकसित किया जायेगा।

६- राजीव गांधी खेल अभियान (आर.जी.के.ए.) के अन्तर्गत प्रदेश मे भूमि चयन हेतु वित्तीय वर्ष २०१४-१५ हेतु निम्नवत लक्ष्य निर्धारित किया जाता है:-

(१) चार विकास खण्ड वाले जनपद-कम से कम एक विकास खण्ड में भूमि का चयन।

(२) पांच से आठ विकास खण्ड वाले जनपद-कम से कम दो विकास खण्डों में भूमि का चयन।

(३) नौ से बारह विकास खण्ड वाले जनपद-कम से कम तीन विकास खण्डों में भूमि का चयन।

(४) तेरह अथवा उससे अधिक संख्या के विकास खण्ड वाले जनपद-कम से कम पांच विकास खण्डों में भूमि का चयन।

७- प्रश्नगत संदर्भ में में प्रसंगवश यह उल्लेखनीय है कि प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में खेलकूद गतिविधियों के लिए ग्राम सभा की भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेश संख्या: आर-३१२३/जी-५-३९ए/२०१३, दिनांक ०३ अक्टूबर, २०१३ एवं शासनादेश संख्या-१४७१/पचास-यु0क0-२०१३-४८(विविध)/२०१३, दिनांक ०३ दिसम्बर, २०१३ द्वारा आपसे अनुरोध किया जा चुका है।

http://shasanadesh.up.nic.in

८- अतएव प्रश्नगत संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने-अपने जनपद में अभियान के रूप में राजीव गांधी खेल अभियान (आर.जी.के.ए.) के अन्तर्गत ब्लाक स्तर पर भूमि का चिन्हीकरण कर उपयुक्त प्रस्ताव महानिदेशक, युवा कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, को सर्वोच्च प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

भुवनेश कुमार,
सचिव।

संख्या-१०१८(१) /५०-वाई0के0-२०१४-४८(विविध)/२०१३, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१- महानिदेशक, प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्रांक-४१९/चार-०७/प्रा0वि0द0/२०१४, दिनांक १४ जुलाई, २०१४ के सन्दर्भ में सर्वोच्च प्राथमिकता पर अपने स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु,

२- आयुक्त चकबन्दी, उ0प्र0, लखनऊ,

३- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश,

४- समस्त जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, को इस निर्देश के साथ कि जिलाधिकारी से सम्पर्क कर राजीव गांधी खेल अभियान (आर.जी.के.ए.) की अधिसूचना दिनांक २९ अप्रैल, २०१४ एवं ऑपरेशनल गाईड लाइन्स, २०१४, दिनांक १६ जुलाई, २०१४ उनके संज्ञान में लाते हुये, प्रस्ताव प्रेषित कराना सुनिश्चत करें।

५- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
उप सचिव।

http://sfesanadesh.up.nic.in